

आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)



अधिहरण (उत्पाद) वाद सं०...25...../17-18

राज्य बनाम अपाची मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं०- BR-33H-4051

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख-सहित। 3
11-0-17	<p>पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सोनवर्षा राज थाना कांड संख्या-13/17 दिनांक-03.02.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत अपाची मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं०- BR-33H-4051 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सोनवर्षा राज थाना कांड संख्या-13/17 दिनांक-03.02.17 में पु०अ०नि० अरुण कुमार सोनवर्षा राज थाना के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त संजीव कुमार पिता-कैलु यादव सा०-शाहपुर थाना-सोनवर्षा राज जिला-सहरसा के विरुद्ध अपाची मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं०- BR-33H-4051 के डिक्की में अग्रेजी शराब पीने अथवा बेचने हेतु रखने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। उक्त मोटर साईकिल के डिक्की से 07 बोतल रॉयल स्टैग 375 एम०एल० को बरामद किया गया। उक्त विदेशी शराब और जब्त वाहन को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया।</p> <p>राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।</p>	



11-0-17

	<p>विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि उसे मोटर साईकिल की कोई जानकारी नहीं है न ही उसकी मोटर साईकिल है उसे इस मामले में गलत ढंग से फसाया गया है।</p> <p>विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः जब्त अपाची मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं०-BR-33H-4051 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को दें।</p> <p>इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।</p>	
<p> समाहर्ता, सहरसा।</p>		<p> समाहर्ता, सहरसा।</p>

समाहरणालय सहरसा
(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 1205-2/विधि, दिनांक 17-08-2017.

प्रतिलिपि- अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ✓



प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।
12-08-2017